

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2024-वैशाख 6, शक 1946

## भाग 3 ( 1 )

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती कुंती बाई पत्नी श्री हल्के रजक, निवासी-काली मंदिर के पास, बोगदा पुल, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम श्रीमती रामबती बाई रजक अंकित हो गया है. जो कि गलत है. जबकि अन्य शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती कुंती बाई रजक सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है. जो सही एवं सत्य है एवं ये दोनों नाम एक ही महिला के हैं. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्रीमती कुंती बाई रजक से ही जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रामबती बाई रजक)

नया नाम

(कुंती बाई रजक)

पत्नी-श्री हल्के रजक.

(G-890)

## CHANGE OF NAME

I, hereto to known as (SUSHMA SEN) W/o (Jawahar Lal Sen), age 74, resident of gram Pawaiya, Tehsil Kothi, Satna, Madhya Pradesh, have changed my name to (KUSUM SEN) after publication shall hereafter be known as (KUSUM SEN).

Old Name

(SUSHMA SEN)

New Name

(KUSUM SEN)

(G-891)

**CHANGE OF NAME**

I, hereto known as Supriya Deoraj Thakre, Add. Nanawha, Po. Dhanoli, Tah. Salekasa, Distt. Gondia (M.H.). have changed my name and shall hereafter be known as Supriya Yede W/o Mr. Sunil Kumar Yede, Add. Kalpathari, Ward No. 07, Po. Pathargaon, Tah. Lanji, Distt. Balaghat (M.P.).

Old Name

New Name

**(SUPRIYA DEORAJ THAKRE)****(SUPRIYA YEDE)**

(G-892)

**नाम परिवर्तन**

मैं, अभिषेक सेन पिता रामसिया सेन, निवासी-अमवा-10, तहसील मनगवां सूचित करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड में भूलवश मेरा नाम अभिषेक कुमार सेन दर्ज हो गया है. जो कि गलत है. मेरा सही नाम अभिषेक सेन है. अतः मुझे मेरे सही नाम अभिषेक सेन के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

**(अभिषेक कुमार सेन)****(अभिषेक सेन)**

पिता-रामसिया सेन.

(G-893)

**नाम परिवर्तन**

प्रमाणित करती हूँ कि मुझे थ्रेसिया के.जे. (THRESSIA KJ) आत्मज श्री जोसेफ के. डी. (JOSEPH KD) के नाम से जाना व पहचाना जाता है. जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सिस्टर जीसा कोचूमनीकुन्नेल (SISTER JEESA KOCHUMANIKUNNEL) आत्मज (JOSEPH KOCHUMANIKUNNEL) दर्ज है. जो कि गलत है. गजट के प्रकाशन उपरांत थ्रेसिया के.जे. (THRESSIA KJ) आत्मज श्री जोसेफ के. डी. (JOSEPH KD) के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

**(सिस्टर जीसा कोचूमनीकुन्नेल)****(थ्रेसिया के.जे.)****(SISTER आत्मज JEESA KOCHUMANIKUNNEL)****(THRESSIA KJ)**

आत्मज (JOSEPH KOCHUMANIKUNNEL)

श्री जोसेफ के. डी. (JOSEPH KD)

(G-894)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री बालाजी गैस सर्विस पता-खंडवा रोड, हरदा ( म.प्र.) में भागीदार क्रमशः (1) कितिन कुमार अग्रवाल हरदा, ( 2 ) मुशर्रफ खान हरदा है. जो कि फर्म्स एवं सोसायटी कार्यालय भोपाल में पंजीयन क्रमांक 01-08-02-0478-22, दिनांक 10 मार्च 2022 को पंजीकृत है, दोनों भागीदारों की आपसी सहमति से फर्म का विघटन किया जा रहा है. जिसमें दोनों भागीदारों की रजामंदी है. जो कि दिनांक 30-4-2024 से प्रभावशाली रहेगी.

For-Shree Balajee Gas Service,

**(कितिन कुमार अग्रवाल)**

Partner.

(G-895)

**उपनाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम तृप्ति मालवीया है। जो मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में अंकित है। प्रकाशन उपरांत मुझे तृप्ति दीक्षित के नाम से जाना-पहचाना, लिखा, पढ़ा और दर्ज किया जावे।

पुराना नाम  
(तृप्ति मालवीया)  
(G-896)

नया नाम  
(तृप्ति दीक्षित)

**उपनाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा पूर्व नाम शुभम मालवीया है। जो मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में अंकित है। प्रकाशन उपरांत मुझे शुभम दीक्षित के नाम से जाना-पहचाना, लिखा, पढ़ा और दर्ज किया जावे।

पुराना नाम  
(शुभम मालवीया)  
(G-897)

नया नाम  
(शुभम दीक्षित)

**जाहिर सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, हमारी भागीदारी फर्म मेर्सस वस्तीराम एण्ड कंपनी जिसका पंजीयन क्र. 1109, होकर दिनांक 12-8-1982 को कार्यालय फर्म एण्ड संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) में पंजीकृत है (उनके एक भागीदार श्रीमती कमला बाई पति स्व. श्री लीलाधर वाधवानी, निवासी-3, सिन्धू नगर, देवास (म.प्र.) है। जिनका की देहावसान दिनांक 29-12-2017 को हो गया है। उनके देहावसान होने के कारण उनके दोनों पुत्रों को (1) धर्मेन्द्र वाधवानी पिता स्व. श्री लीलाधर वाधवानी एवं (2) नन्दकिशोर वाधवानी पिता स्व. श्री लीलाधर वाधवानी को आज दिनांक 29-12-2017 को फर्म के नये भागीदारों के रूप में सम्मिलित किया गया।

मेर्सस वस्तीराम एण्ड कंपनी,  
(केशव वाधवानी)  
पार्टनर/मैनेजर

(G-898)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आलोक शुक्ला पुत्र श्री अभय शुक्ला, निवासी- 309ए, सुदामा नगर, इंदौर (म.प्र.). मेरे पुत्र का वास्तविक नाम दर्श शुक्ला है, आधार कार्ड में त्रुटिवश अदयंत शुक्ला अंकित हो गया है। अब मेरा पुत्र अपने नये नाम दर्श शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जायेगा। सभी शासकीय या अर्ध शासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का वास्तविक नाम दर्श शुक्ला रहेगा।

पुराना नाम  
(अदयंत शुक्ला)

नया नाम  
(दर्श शुक्ला)  
(DARSHA SHUKLA)  
पुत्र-श्री आलोक शुक्ला.

(G-899)

### उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम ऋषभ मालवीया है। जो मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में अंकित है। प्रकाशन उपरांत मुझे ऋषभ दीक्षित के नाम से जाना-पहचाना, लिखा, पढ़ा और दर्ज किया जावे।

पुराना नाम  
(ऋषभ मालवीया)  
(G-900)

नया नाम  
(ऋषभ दीक्षित)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 63 (1) के अधीन यह सूचना दी जाती है की हमारी उक्त फर्म जिसका पंजीयन क्रमांक 01-01-01-00105-13 वर्ष 2013-2014 एवं पता-219 ए रचना नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश) है, मैं, श्री मनोज सिंह चौहान आत्मज स्वर्गीय श्री दशरथ सिंह चौहान, स्थायी-पता 48, विनय नगर, जेल रोड, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) को नए साझेदार के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है एवं श्रीमती राशि राजे सिंह पत्नी श्री गौरव सिंह ने फर्म से त्यागपत्र दे दिया है। इसलिए श्रीमती राशि राजे सिंह को फर्म से पृथक् किया जाता है। श्री अजय सिंह बिसेन, श्रीमती इन्दु बिसेन, श्रीमती अम्बिका बिसेन फर्म में यथावत रहेंगे।

(G-901)

मैसर्स बिसेन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट ग्रुप,  
(AMBIKABISEN)  
Existing Partner.

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S GLOBAL REALTY जो 62 COSMO VALLEY SIROL ROAD, NEW CITY CENTER, GWALIOR (M.P.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र.-02-42 -01-0196-19, दिनांक 11-10-2019 है। जिसमें दिनांक 15-4-2024 को भागीदार जयदीप अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल, निवासी 100 राम कृपा नया बाजार, ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 15-04-2024 को जगदीश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रामजी लाल अग्रवाल, निवासी 100 राम कृपा, नया बाजार, ग्वालियर (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं।

(G-902)

M/S GLOBAL REALTY,  
(अरविन्द्र अग्रवाल)  
भागीदार.

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स होटल सूर्या रीजेन्सी जो ज्येन्द्रगंज, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रं, 02-42-01-00127-06, दिनांक 5-1-2006 है। जिसमें दिनांक 23-2-2024 को भागीदार (1) श्री पारस जैन पुत्र स्व. श्री मोहन लाल सराफ, निवासी -1004, आर्किड टॉवर, माहाराणा प्रताप नगर, ग्वालियर (म.प्र.), (2) श्री बाबूलाल जैन पुत्र स्व. श्री मोहन लाल सराफ, निवासी ऋषि गालव स्कूल दीन दयाल नगर बी-ब्लॉक, ग्वालियर (म.प्र.), (3) श्री शोलेष जैन पुत्र श्री विष्णु कुमार जैन, निवासी 905 आर्किड टॉवर माहाराणा प्रताप नगर, ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 23-2-2024 को श्रीमती मीरा जैन पत्नि श्री विष्णु कुमार जैन, निवासी-905, आर्किड टॉवर, माहाराणा प्रताप नगर, ग्वालियर (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गयी है।

(G-903)

मैसर्स होटल सूर्या रीजेन्सी,  
(विष्णु कुमार जैन)  
भागीदार.

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S ALLEGIANT ENTERPRISES जो 233, VIJAYA NAGAR EXT. CHETAKPURI, GWALIOR (M.P.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/0051/23, दिनांक 11 जून 2023 है, जिसमें दिनांक 5-4-2024 को भागीदार कविता भोजवानी पत्नि मुकेश भोजवानी, निवासी-233, विजय नगर, एक्सटेंशन चेतकपुरी, ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गयी हैं एवं इसी दिनांक 5-4-2024 को (1) श्री अरविन्द अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल, निवासी-4 गीता कॉलोनी, हॉस्पिटल रोड, ग्वालियर, (2) जयदीप अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल, निवासी-100, राम कृपा, नया बाजार, ग्वालियर (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं।

M/S ALLEGIANT ENTERPRISES,

(मुकेश भोजवानी)

भागीदार.

(G-904)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S COUNTY RETAIL AND SERVICES जो H. NO. 01, COSMO COUNTY, GRAM DONGARPUR, GWALIOR (M.P.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-42-01-0207-24, दिनांक 2-1-2024 है, जिसमें दिनांक 4-3-2024 को राकेश धमेजा पुत्र स्व. श्री ईश्वर दास धमेजा, निवासी बी-707, केशर अपार्टमेंट रेसकोर्स रोड, ग्वालियर (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं।

M/S COUNTY RETAIL AND SERVICES,

(अरविन्द अग्रवाल)

भागीदार.

(G-905)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S HRIDIMA INFRATECH जो HOTEL SURYA JAYENDRAGANJ, GWALIOR (M.P.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-42-01-0064-23, दिनांक 26 जून 2023 है, जिसमें दिनांक 25-1-2024 को भागीदार रजत अग्रवाल पुत्र स्व. श्री विष्णु अग्रवाल, निवासी-311, शारदा मेनसन सिंगापुर रोड, मुरार ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 25-1-2024 को भीम सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर निवासी-तृप्ति नगर रोड, नदी पार ताल मुरार, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं।

M/S HRIDIMA INFRATECH.

(लक्ष्मीकांत शिवहरे)

भागीदार.

(G-906)

**PUBLIC NOTICE**

"Public Notice is hereby given that the partnership firm M/s SWAPNIL REALESTATE having Firm Registration Number: 01-01-01-0145-18, dated 6-8-2018 having Address at 61-B, Kasturba Nagar, Bhopal (M.P.) 462023 consisting of partners Gaurav Makhija S/o Shree Ashok Makhija, Mr. Abhishek Hariramani S/o Shree Prakash Hariramani and Mr. Aditya Ramani S/o Shree Vijay Hariramani by virtue of partnership agreement dated 2-11-2018. Now with effect from 31-3-2024 one two old partners i.e. Mr. Abhishek Hariramani S/o Shree Prakash Hariramani and Mr. Aditya Ramani S/o Shree Vijay Hariramani are discontinuing as partners & a new partner Mr. Nishant Makhija S/o Ashok Kumar Makhija is inducted as partner along with all continuing partners.

(GAURAV MAKHIJA)

Partner.

(G-907)

**PUBLIC NOTICE**

"Public Notice is hereby given that the partnership firm M/s SWAPNIL BUILDERS having Firm Registration Number: 01/01/01/0160/19 dated 29-7-2019 having Address at 61-B, Kasturba Nagar, Bhopal M.P. 462023 consisting of partners Mr. Darbar Singh Rajput S/o Shri Thakur Singh Rajput, Mr. Jagdeesh Singh Rajput S/o Shri Thakur Singh Rajput, Mr. Gaurav Makhija S/o Shree Ashok Makhija, Mr. Aditya Ramani S/o Shree Vijay Hariramani, and Mr. Kapil Moolchandani S/o Shri Kishanlal Mulchandani by virtue of partnership agreement dated 24-10-2019. Now with effect from 31-3-2024 old partner Mr. Aditya Ramani S/o Shree Vijay Hariramani is discontinuing as partner in the partnership firm.

**(DARBAR SINGH RAJPUT)**

(G-908)

Partner.

**नाम परिवर्तन**

मैं, बीना पत्नी स्व. श्री राजकुमार अग्रवाल सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम मीना गोयल था. जो मेरी L.I.C. बीमा पॉलिसी में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में, मैं, बीना पत्नी स्व. श्री राजकुमार अग्रवाल के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों इत्यादि में लिखा गया है, मीना गोयल एवं बीना दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी L.I.C. बीमा पॉलिसी में मेरा नाम मीना गोयल के स्थान पर बीना पत्नी स्व. श्री राजकुमार अग्रवाल लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(मीना गोयल)

नया नाम  
(बीना)

पत्नी-स्व. श्री राजकुमार अग्रवाल,  
पता-ए. बी. रोड, लक्ष्मीगंज,  
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-909)

**नाम परिवर्तन**

मैं, रेमा नायर पत्नी स्वर्गीय श्री नंद कुमार नायर, निवासी-म.नं. सी 90, न्यू, मिनाल रेसीडेंसी जे. के. रोड, गोविंदपुरा, भोपाल (म.प्र.) पी.पी.ओ. में मेरा नाम राम कुमारी अम्मा के नाम से वर्णित किया है. जो कि त्रुटिपूर्ण है जबकि वास्तव में मेरा नाम रेमा नायर पत्नी स्वर्गीय नंद कुमार नायर है और इसी नाम से पहचान विलेखों में भी जानी व पहचानी जाती हूँ. अतः मुझे भविष्य में सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में रेमा नायर के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(राम कुमारी अम्मा)

नया नाम  
(रेमा नायर)

(G-910)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माही मिश्रा, पुत्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्रीमती प्रिया मिश्रा ने अपने पूर्व नाम का त्याग करते हुए प्रकाशन उपरांत माही मिश्रा के स्थान पर आरिया मिश्रा के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे.

भवदीय  
(अजय कुमार मिश्रा/श्रीमती प्रिया मिश्रा)  
पता-501, शांति पैलेस, 212, रानीबाग,  
खंडवा रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-911)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गनपतलाल एंड संस पार्टनरशिप फर्म के रूप में सहायक पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, इन्दौर में पंजीकृत है. यह कि, फर्म के साझेदारों द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 1-4-2024

को फर्म में अजय गिरी पिता श्री रमेश गिरी, निवासी-इंदिरा नगर, माँगलिया, इन्दौर (म.प्र.) को फर्म में नए साझेदार के रूप में शामिल किया गया है एवं इसी दिनांक से साझेदार संजीत सिंह मैक पिता श्री राजेंद्र सिंह मैक, निवासी-88, गोपाल बाग, इंदौर (म.प्र.) ने स्वेच्छा से फर्म से इस्तीफा दिया है एवं फर्म के साझेदार नहीं रहे.

मेसर्स गनपतलाल एंड संस,  
(अजय गिरी)  
पार्टनर.

(G-912)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म "M/s SHIV MAHIMA CONSTRUCTION AND BOREWELL" पंजीयन क्रमांक 05-22-03-00025-11, पंजीयन दिनांक 27-5-2011 पता-Ward No. 12, Bajrang Nagar, Rewa, Distt. Rewa (M.P.) कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा, शहडोल संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म है. यह कि वर्तमान में इस भागीदारी फर्म में पूर्व में (1) Shri Krishnakant Mishra, (2) Shri Prashant Chaturvedi पार्टनर थे. जिसमें दिनांक 14-1-2024 को (1) Shri Prashant Chaturvedi S/o Shri Sant Das Chaturvedi, aged 38 years, Address-House no. 01, Ward No. 26, Near Vedanta Public School, Chhatrapati Nagar, Distt. Rewa (M.P.) मृत्यु के कारण फर्म से पृथक् हो गये. निकलने वाले साझेदार की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है. उक्त दिनांक 14-1-2024 को पूर्व पार्टनर Prashant Chaturvedi की मृत्यु हो जाने के कारण उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पत्नी (1) Smt. Praveen Chaturvedi W/o Shri Prashant Chaturvedi, aged 37 years, Address-Gram Post-Supiya, Supiya Huzur, Distt.-Rewa (M.P.) को नये पार्टनर के रूप में सम्मिलित किया गया है.

M/s SHIV MAHIMA CONSTRUCTION AND BOREWELL  
(KRISHNAKANT MISHRA)  
Partner.

(G-913)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम लोकेश यादव (LOKESH YADAV) पिता सेजराम यादव है. जो कि सही व सत्य है तथा मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों पर भी दर्ज है. किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा बोलता नाम नीरज यादव (NIRAJ YADAV) पिता सेजराम यादव दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लोकेश यादव (LOKESH YADAV) पिता सेजराम यादव के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम  
(नीरज यादव)  
(NIRAJ YADAV)

नया नाम  
(लोकेश यादव)  
(LOKESH YADAV)  
पिता-सेजराम यादव,  
पता-180, तिवाडिया, देवास (म.प्र.)

(G-914)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम मोनिका लालवानी (MONIKA LALWANI) पति श्री आशीष लालवानी है, जो की मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं ड्रायविंग लाईसेन्स पर दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची पर माता के स्थान पर त्रुटिवश मेरा बोलता नाम हर्षा लालवानी (HARSHA LALWANI) दर्ज हो गया है, अतः मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों पर माता का नाम हर्षा लालवानी के स्थान पर मोनिका लालवानी (MONIKA LALWANI) लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(हर्षा लालवानी)

नया नाम  
(मोनिका लालवानी)  
पति-श्री आशीष लालवानी,  
पता-बी. एस. एफ 7, इण्डस सेटेलाइट,  
ग्रीन्स इन्दौर (म.प्र.)

(G-915)

**आम सूचना**

आम जनता को सूचित किया जाता है कि, फर्म चितौरा इण्डेन ग्रामीण वितरण फर्म के रजिस्टर में क्र 06-09-01-0053-15, सन् 2014-15 के रूप में इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट की धारा 58 (1) के धारा स्वीकार किया गया था. जिसके पार्टनर हरिहर प्रसाद मिश्रा एवं श्रीमती कल्पना मिश्रा पार्टनर थे, अब इस फर्म का विघटन दिनांक 29-12-2023 को कर पार्टनर श्रीमती कल्पना मिश्रा को अलग किया गया है, अब इस फर्म से संबन्धित प्रोप्राइटर हरिहर प्रसाद मिश्रा रहेंगे. सर्वसाधारण को सूचनार्थ हेतु आज दिनांक 19-4-2024 को सूचना जारी.

CHITOURA INDANE GRAMIN VITRAK,

(हरिहर प्रसाद मिश्रा)

द्वारा-अम्बिका प्रसाद मिश्रा एड.

सिविल कोर्ट, सागर (म.प्र.).

(G-916)

**CHANGE OF NAME**

I, Somya Jain inform the General Public That earlier my Daughter's Name was Yashasvi Tiwari D/o Sourabh Tiwari, which is Recorded on her Aadhar card, Birth Certificate and Educational Documents, but after the Divorce of my marriage with Sourabh Tiwari, Now my daughter's Name is Yashasvi Jain D/o Sourabh Tiwari Guardian and Nurturer Mother Somya Jain D/o Kamal Jain Therefore, from today onwards My daughter's Name will be written as Yashasvi Jain read and in future to be known, recognized and addressed by this Name.

Applicant,

**(SOMYA JAIN)**

Guardian D/o Kamal Jain,

Address:-49/8, Shanti Nagar Colony,

Behind Chippa Bakhhal, Indore (M.P.).

(G-917)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकमल बिल्डर्स पार्टनरशिप फर्मस पंजीयन क्रमांक 02-42-01-00062-05, दिनांक 1-9-2005 में निम्न बदलाव हुए हैं:- 1. श्री प्रणय भारत शर्मा पुत्र श्री भारत कमल शर्मा, निवासी-तानसेन रोड, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.) एवं श्रीमती रेखा श्रीवास्तव पुत्री राधे मोहन श्रीवास्तव, निवासी-ए. एम. 79, सेक्टर ए, डी. डी. नगर, ग्वालियर (म.प्र.). दिनांक 8-2-2024 से फर्म में सम्मिलित हुये. 2. पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन: वर्तमान पता-13, विकास नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

द्वारा-राजकमल बिल्डर्स,

(भारत कमल शर्मा)

पार्टनर

परिवर्तित पता-09, इंडस्ट्रियल एस्टेट,  
तानसेन रोड, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-918)



## विविध न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट महोदय मैहर, जिला मैहर मध्यप्रदेश

प्र.क्र.0001-बी-113-2023-24

मैहर, दिनांक 22 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1991 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियत 6(1) के तहत]

चूंकि प्रकरण क्रमांक 0001बी-113/2023-24 आवेदक नीरज परौहा पिता आनन्द किशोर परौहा के आवेदन पर माननीय रजिस्ट्रार महोदय मैहर द्वारा ट्रस्ट अधिनियम अंतर्गत विहित प्रारूप क्रं. 3 के नियम, 4(2) के तहत आवेदन-पत्र मय संविधान एवं नियमावली एवं ट्रस्ट की संपत्ति के संबंध में दस्तावेजों सहित उक्त न्यास की कार्यकारिणी पदाधिकारी सदस्यों की बैठक दिनांक 8-3-2024 को न्यासकर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के कार्यवाही/प्रस्ताव क्रमांक 1 पर सर्वसम्मति से उक्त न्यास के पंजीयन हेतु बाईलाज बनाया गया है, जो कि मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4(2) के अंतर्गत अनुसूची में जिसका आवेदन आवेदक द्वारा विहित प्रारूप में न्यास के पंजीयन हेतु संविधान व नियमावली प्रेषित किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त न्यास के संशोधन आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 24 अप्रैल 2024 को विचार में लिया गया है, कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हो तो लिखित में 2-2 प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं:-

### अनुसूची

लोक न्यास का नाम : "श्याम दरबार लोक न्यास मैहर"

पता : 'शिवम नगर वार्ड नं. 19, रीवा रोड, मैहर, जिला मैहर मध्यप्रदेश.

अ. उक्त न्यास के मूल संविधान एवं नियमावली के पंजीयन के लिये न्यास की बैठक दिनांक 8-3-2024 के प्रस्ताव क्र. 1 के अनुसार निम्नलिखित पदाधिकारियों बनाये गये हैं.

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. सर्वश्री नीरज परौहा       | मैनेजिंग ट्रस्टी/संस्थापक |
| 2. श्री संदीप कुमार ठाकुर    | उपाध्यक्ष                 |
| 3. श्री आदर्श सिंह चौहान     | सचिव                      |
| 4. श्री सम्पूर्णा परौहा      | सहसचिव                    |
| 5. श्री आनंद किशोर परौहा     | कोषाध्यक्ष                |
| 6. श्रीमती स्नेहा सिंह चौहान | न्यास प्रतिनिधि           |
| 7. श्रीमती प्रीति अग्रवाल    | सदस्य                     |
| 8. श्रीमती साघना परौहा       | सदस्य                     |
| 9. श्री राजेन्द्र परौहा      | सदस्य                     |
| 10. श्री अमित तिवारी         | सदस्य                     |
| 11. श्रीमती रश्मि द्विवेदी   | सदस्य                     |

बनाये गये हैं. नवीन नियमावली प्रारूप श्री मान के समक्ष अवलोकनार्थ सलंगन है.

समक्ष अवलोकनार्थ सलंगन है.

स. उक्त न्यास के मूल संविधान एवं नियमावली में भविष्य में होने वाले संशोधन न्यासकर्ता/संचालक/अध्यक्ष नीरज परौहा जी के साथ न्यास के पदाधिकारियों के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव को न्यास की नियमावली में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है.

(G-919)

विकास सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इंदौर क्षेत्र जिला इंदौर मध्यप्रदेश

जूनी इन्दौर, दिनांक 26 मार्च 2024

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस) (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 3174-रीडर-1-24.-आवेदक श्री वर्धमान सौभाग्य ललित शिवमैत्री धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, पता-34, अनुराग नगर, प्रेस काम्पलेक्स के पीछे, ए. बी. रोड, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

श्री वर्धमान सौभाग्य ललित शिवमैत्री धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, पता-34, अनुराग नगर,  
प्रेस काम्पलेक्स के पीछे, ए. बी. रोड, इन्दौर.

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : 27,000/-

आज दिनांक 26 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-920)

घनश्याम धनगर, रजिस्ट्रार.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास पंजीयक सागर, जिला सागर, मध्यप्रदेश

रा.प्र.क्र.0012-बी-113-वर्ष 2022-23.

मौजा सागर खास,  
तहसील व जिला सागर

सागर, दिनांक 20 फरवरी 2024

क्र.-3853-री-1-अ.वि.अ.-2024.-एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ओमप्रकाश गुरु पिता भवानी प्रसाद गुरु, निवासी-हरे कृष्णा आश्रम भूतेश्वर रोड, संत रविदास वार्ड सागर, जिला सागर द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर राधा कुंज बिहारी न्यास, हरे कृष्णा आश्रम, भूतेश्वर रोड, संत रविदास वार्ड सागर, तहसील व जिला सागर के पंजीयन हेतु निवेदन किया है। जिसके कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक के नाम पते निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम एवं पता	पद/प्रबंधक	न्यासी
1	2	3	4
1.	ओमप्रकाश पिता भवानीप्रसाद गुरु, निवासी हरे कृष्णा आश्रम भूतेश्वर रोड, संत रविदास वार्ड सागर.	अध्यक्ष	ट्रस्टी
2.	अमित पिता नवीन प्रकाश भारद्वाज, निवासी हरे कृष्णा आश्रम भूतेश्वर रोड, संत रविदास वार्ड सागर.	उपाध्यक्ष	ट्रस्टी
3.	श्रीमती ज्योति पति राजेश मिश्रा, निवासी हरे कृष्णा आश्रम भूतेश्वर रोड, संत रविदास वार्ड सागर.	सचिव	ट्रस्टी

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	गौरहरी पिता ओमप्रकाश गुरु, निवासी-हरे कृष्णा आश्रम, भूतेश्वर रोड, संत रविदास वार्ड, सागर.	कोषाध्यक्ष	ट्रस्टी
5.	सुधीर पिता ओमप्रकाश गुरु, निवासी-हरे कृष्णा आश्रम, भूतेश्वर रोड, संत रविदास वार्ड, सागर.	मंत्री/सहमंत्री	ट्रस्टी
6.	श्रीमती कृष्णा पति राजेश शर्मा, निवासी-वृंदावन, जिला मथुरा, उत्तरप्रदेश	सदस्य	ट्रस्टी
7.	श्याम सुंदर पिता ओमप्रकाश गुरु, निवासी-हरे कृष्णा आश्रम, भूतेश्वर रोड, संत रविदास वार्ड, सागर.	सदस्य	ट्रस्टी

अध्यक्ष आवेदक ओमप्रकाश गुरु पिता भवानी प्रसाद गुरु, निवासी हरे कृष्णा आश्रम, भूतेश्वर रोड, संत रविदास वार्ड, सागर द्वारा आवेदन-पत्र दिनांक 23-12-2022 के तहत निष्पादित कर ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। ट्रस्ट आवेदन-पत्र के राधा कुंज बिहारी न्यास साकिन हरे कृष्णा आश्रम, भूतेश्वर रोड, संत रविदास वार्ड, सागर, तहसील व जिला सागर के बोर्ड की रूप रेखा, कार्य, ट्रस्ट नियमावली प्रस्तुत की गयी है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 15-4-2024 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 20 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

विजय कुमार डहेरिया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

(G-921)

### अन्य सूचनाएं

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 2 अप्रैल 2024

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2024-454.-कार्यालयीन आदेश क्र.-परिसमापन-2024-428, सागर, दिनांक 27-3-2024 से शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 6-5-1980 है, का पंजीयन निरस्त किया गया है।

उक्त आदेश में टंकण त्रुटिवश राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़ के स्थान पर सागर, विकासखण्ड सागर टंकित हो गया है। अतः उसे शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर पढ़ा जावे।

यह आदेश आज दिनांक 2 अप्रैल 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार।

(G-922)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 18 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

क्र.-2024-क्यू-डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
(1)	(2)		
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करैया	1344 / 4-12-2010	582 / 28-4-2023
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिकारपुर	1346 / 4-12-2010	583 / 28-4-2023
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर	1349 / 4-12-2010	584 / 28-4-2023
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी गोपाल	1353 / 4-12-2010	585 / 28-4-2023
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भैंसा	1356 / 4-12-2010	587 / 28-4-2023
6.	सहजपुर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सहजपुर	1359 / 3-8-2011	588 / 28-4-2023
7.	हंसरई दुग्ध सहकारी समिति मर्या., हंसरई	1365 / 24-08-2011	589 / 28-4-2023
8.	पचपीपरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पचपीपरा	1369 / 26-08-2011	590 / 28-4-2023
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छिरारी	1374 / 28-9-2011	592 / 28-4-2023
10.	बंसिया दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बंसिया	1396 / 31-12-2011	593 / 28-4-2023
11.	ढगरानिया दुग्ध समिति सहकारी मर्या., ढगरानिया	1400 / 2-1-2012	594 / 28-4-2023
12.	चन्द्रापुर दुग्ध समिति सहकारी मर्या., चन्द्रापुर	1401 / 2-1-2012	595 / 28-4-2023
13.	सेवन दुग्ध समिति सहकारी मर्या., सेवन	1406 / 17-1-2012	596 / 28-4-2023
14.	बेरखेड़ीखुर्द दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बेरखेड़ीखुर्द	1408 / 7-1-2012	597 / 28-4-2023
15.	चनौआखुर्द दुग्ध समिति सहकारी मर्या., चनौआखुर्द	1411 / 3-2-2012	598 / 28-4-2023
16.	बरोदियाबल्लभ दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बरोदियाबल्लभ	1412 / 3-2-2012	599 / 28-4-2023
17.	जरारा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., जरारा	1413 / 3-2-2012	600 / 28-4-2023
18.	ईशुरवारा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., ईशुरवारा	1416 / 3-2-2012	601 / 28-4-2023
19.	नरयावली दुग्ध समिति सहकारी मर्या., नरयावली	1417 / 22-2-2012	602 / 28-4-2023
20.	पड़रिया दुग्ध समिति सहकारी मर्या., पड़रिया	1420 / 25-2-2012	603 / 28-4-2023
21.	कानीखेड़ाकलां दुग्ध समिति सहकारी मर्या., कानीखेड़ाकलां	1429 / 20-4-2012	604 / 28-4-2023
22.	सासा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., सासा	1438 / 27-4-2012	605 / 28-4-2023
23.	रीछई दुग्ध समिति सहकारी मर्या., रीछई	1443 / 22-06-2012	606 / 28-4-2023
24.	बमनौरा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बमनौरा	1448 / 22-06-2012	607 / 28-4-2023
25.	मदनतला दुग्ध समिति सहकारी मर्या., मदनतला	1450 / 28-06-2012	608 / 28-4-2023
26.	कासलपिपरिया दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कासलपिपरिया	1481 / 07-08-2014	611 / 28-4-2023
27.	सिंगारचौरी दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सिंगारचौरी	1483 / 07-08-2014	612 / 28-4-2023
28.	भौंहारी दुग्ध सहकारी समिति मर्या., भौंहारी	1490 / 07-08-2014	613 / 28-4-2023
29.	सेमराधौना दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सेमराधौना	1492 / 07-08-2014	614 / 28-4-2023
30.	पटनाबुजुर्ग दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पटनाबुजुर्ग	1493 / 07-08-2014	615 / 28-4-2023
31.	सागौनीखुर्द दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सागौनीखुर्द	1495 / 21-8-2014	616 / 28-4-2023
32.	अगरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., अगरा	1498 / 21-8-2014	617 / 28-4-2023

(1)	(2)	(3)	(4)
33.	ढकरई दुग्ध सहकारी समिति मर्या., ढकरई	1500 / 21-8-2014	618 / 28-4-2023
34.	मढ़ियाअग्रसेन दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मढ़ियाअग्रसेन	1501 / 21-8-2014	619 / 28-4-2023
35.	जलंधर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., जलंधर	1504 / 13-10-2014	620 / 28-4-2023

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71(1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला सागर के कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 18 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(G-923)

अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं प्रबंधक, दुग्ध संघ, सागर

सागर, दिनांक 18 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

क्र.-2024-क्यू-डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिमरियाकेला, वि.खं. शाहगढ़.	1426 / 31-3-2012	215 / 11-2-2015
2.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बरबटू	1505 / 13-10-2014	614 / 28-4-2023
3.	बंसियाभौती दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बंसियाभौती	1506 / 13-10-2014	615 / 28-4-2023
4.	लुहरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., लुहरा	1508 / 13-10-2014	616 / 28-4-2023
5.	खैराई दुग्ध सहकारी समिति मर्या., खैराई	1509 / 13-10-2014	617 / 28-4-2023
6.	हनौतापारीक्षित दुग्ध सहकारी समिति मर्या., हनौतापारीक्षित	1511 / 13-10-2014	618 / 28-4-2023
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कटेली	1532 / 1-2-2016	619 / 28-4-2023
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्होरी नवाब	1533 / 1-2-2016	620 / 28-4-2023
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ग्वारी	1535 / 1-2-2016	621 / 28-4-2023

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरिया गोपाल	1536 / 1-2-2016	622 / 28-4-2023
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अगरा	1540 / 31-3-2016	623 / 28-4-2023
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विदवासन	1549 / 24-10-2016	624 / 28-4-2023
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करैयागूजर	1550 / 24-10-2016	625 / 28-4-2023
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कालीपठार	1551 / 24-10-2016	626 / 28-4-2023
15.	उजनेट दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उजनेट	1557 / 28-3-2017	627 / 28-4-2023
16.	खटोराकलां दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खटोराकलां.	1560 / 28-3-2017	628 / 28-4-2023
17.	मड़ावनमार दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मड़ावनमार	1565 / 28-2-2017	629 / 28-4-2023
18.	रेंगुवां दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रेंगुवां	1576 / 21-3-2018	630 / 28-4-2023
19.	मुड़ियादेहरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मुड़ियादेहरा	1588 / 28-3-2018	631 / 28-4-2023
20.	विल्धव दुग्ध सहकारी समिति मर्या., विल्धव	1590 / 28-3-2018	632 / 28-4-2023
21.	गिरोल दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गिरोल	1591 / 28-3-2018	633 / 28-4-2023
22.	ढांड दुग्ध सहकारी समिति मर्या., ढांड	1600 / 28-3-2018	634 / 28-4-2023
23.	सींगना दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सींगना	1601 / 28-3-2018	635 / 28-4-2023
24.	भबूकावारी दुग्ध सहकारी समिति मर्या., भबूकावारी	1602 / 28-3-2018	636 / 28-4-2023
25.	सावलखिरिया दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सावलखिरिया	1605 / 28-3-2018	637 / 28-4-2023
26.	जरियाखिरिया दुग्ध सहकारी समिति मर्या., जरियाखिरिया	1606 / 28-3-2018	638 / 28-4-2023
27.	भानगढ़ दुग्ध सहकारी समिति मर्या., भानगढ़	1607 / 28-3-2018	639 / 28-4-2023
28.	लेटवास दुग्ध सहकारी समिति मर्या., लेटवास	1608 / 28-3-2018	640 / 28-4-2023

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71(1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला सागर के कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 18 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(G-924)

संजय अहिरवार, प्रबंधक एवं परिसमापक.

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2024—वैशाख 6, शक 1946

भाग 3 ( 2 )

सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )